न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 487 / 2025 | दायर दिनांक 24.09.2025 | निर्णय दिनांक 18.12.2025

उनवान

1. छोटू पुत्र लाला गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. ईकबाल पुत्र बशीर मोहम्मद मेवाती, नि0 श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2. हबीब पुत्र बशीर मोहम्मद मेवाती, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. नेक मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद मेवाती, नि0 श्रीपुरा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा।
4. रहमति पत्नी बशीर मोहम्मद मेवाती, नि0 श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
5. कालु पुत्र नन्दा गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
6. गोपाल लाल पुत्र भैरू गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
7. ठम्मा पत्नी कालु गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
8. नाना पुत्र लाला गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
9. नानी पत्नी नाना गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
10. नोजी पत्नी भैरू गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
11. रघुनाथ पुत्र भैरू गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
12. हगामी पत्नी लाला गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोटडी / नायब तहसीलदार बडलियास।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री कैलाश राव उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं**
3. **विपक्षी संख्या 13 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीपुरा, पटवार हल्का जीवा का खेड़ा, भू–अभिलख निरीक्षक क्षेत्र आकोला, तहसील कोटड़ी, जिला–भीलवाडा की खसरा संख्या 173 / 3 क्षेत्रफल 1.2639 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 क्षेत्रफल 0.6482, खसरा संख्या 206 / 12 हैक्टेयर 2.1606 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 क्षेत्रफल 7.4540, खसरा संख्या 225 / 201 क्षेत्रफल 0.0108 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 / 58 क्षेत्रफल 0.4861, खसरा संख्या 327 / 206 क्षेत्रफल 0.8102 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 / 58 क्षेत्रफल 0.4861, खसरा संख्या 206 / 9 क्षेत्रफल 1.0803 हैक्टेयर, खसरा संख्या 173 / 3, क्षेत्रफल 1.2639 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 क्षेत्रफल 0.6482 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चांहते है। मेंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जातां है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्रीपुरा, पटवार हल्का जीवा का खेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला, तहसील कोटड़ी, जिला–भीलवाडा की खसरा संख्या 173/3 क्षेत्रफल 1.2639 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 क्षेत्रफल 0.6482, खसरा संख्या 206/12 हैक्टेयर 2.1606 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 क्षेत्रफल 7.4540, खसरा संख्या 225/201 क्षेत्रफल 0.0108 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/58 क्षेत्रफल 0.4861, खसरा संख्या 327/206 क्षेत्रफल 0.8102 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/58 क्षेत्रफल 0.4861, खसरा संख्या 206/9 क्षेत्रफल 1.0803 हैक्टेयर, खसरा संख्या 173/3, क्षेत्रफल 1.2639 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 क्षेत्रफल 0.6482 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा